

राजस्थान सरकार  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक प.1(1)चि.स्वा./ग्रुप-2/2011

जयपुर, दिनांक : 30.01.2012

आ दे श

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 21.12.2011 के द्वारा निम्न चिकित्सकों को निलम्बित समझने (Deemed Suspension) के आदेश जारी किये गये थे। तत्पश्चात उक्त सभी चिकित्सकों को विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 02.01.2012 के द्वारा बहाल करते हुए इन्हें पूर्व पदस्थापन स्थान पर कार्यरत रहने के निर्देश प्रदान किए गए थे:-

1. डा. नसरीन भारती, क. वि. (सर्जरी), राजकीय कावंटिया अस्पताल, जयपुर।
2. डा. राकेश गुप्ता, क. वि. (सर्जरी), जिला चिकित्सालय, टोंक
3. डा. एस. के. बृजेश, क. वि. (निश्चेतन), जिला चिकित्सालय, टोंक
4. डा. अशोक चौधरी, ग्रामीण चिकित्सा अधिकारी, प्राथ. स्वा. केन्द्र, मंगलूना, सीकर से प्राथ. स्वा. केन्द्र, सामोद, जयपुर को स्थानान्तरणाधीन
5. डा. राजकुमार सकसैना, क. वि. (मेडिसन), सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, रेनी, अलवर
6. डा. एम. सी. जैन, व. वि. (नेत्र), जिला चिकित्सालय, अलवर
7. डा. जे. एस. शर्मा, क. वि. (मनोरोग), जिला चिकित्सालय, अलवर
8. डा. पी. सी. कोठारी, क. वि. (ई. एन. टी.), जिला चिकित्सालय, सिरोही
9. डा. प्रदीप चौहान, क. वि. (मेडिसन), जिला चिकित्सालय, सिरोही

उक्त चिकित्सकों की निलम्बन अवधि को सेवा में व्यवधान न मानकर, उक्त अवधि का अवैतनिक असाधारण अवकाश (Extra-ordinary leave without pay) स्वीकृत कर, नियमित किया जाता है।

उक्त अवैतनिक असाधारण अवकाश (Extra-ordinary leave without pay) अवधि को वार्षिक वेतन वृद्धि एवं पेंशन योग्य सेवा के लिए माना जावेगा।

आज्ञा से,

—ह—

(सुनील कुमार शर्मा)  
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री महोदय
- 2- निजी सचिव, मा. चिकित्सा मंत्री महोदय ।
- 3- निजी सचिव, मा. चिकित्सा राज्य मंत्री महोदय ।
- 4- उप सचिव एवं निजी सचिव, मा. मुख्य सचिव महोदय
- 5- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग ।
- 6- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ।
- 7- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग को आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
- 8- निदेशक, जन स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राज. जयपुर ।
- 9- संबंधित संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन
- 10- संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
- 11- संबंधित प्रमुख चिकित्सा अधिकारी
- 12- संबंधित अधिकारी को मार्फत निदेशक, जन स्वास्थ्य
- 13- कम्प्यूटर सेल/निजी /रक्षित पत्रावली

  
शासन सहायक सचिव